

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 74]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 17, 1972/फाल्गुन 27, 1893
No. 74]	NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 17, 1972/Phalguna 27, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 17th March, 1972

G.S.R. 102(E).—The following Proclamation by the President is published for general information :

PROCLAMATION

In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 356 of the Constitution of India I, V. V. Giri, President of India, hereby revoke the Proclamation made by me, under the said article on the 15th June, 1971, in relation to the State of Punjab.

[No. 53/5/PB/71-Poll (K)]

गृह मंत्रालय

अधिसूचनायें

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1972

सं० सा० नि० 102 (अ०).—राष्ट्रपति की निम्नलिखित उद्घोषणा साधारण जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है :

उद्घोषणा

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, व० व० गिरि, भारत का राष्ट्रपति पंजाब राज्य के सम्बन्ध में 15 जून, 1971 की उक्त अनुच्छेद के अधीन अपने द्वारा की गई उद्घोषणा को एतद्वारा प्रतिसंहत करता हूँ।

[(सं० 53/5/पंजाब/71-पोल (के)]

G.S.R. 103(E).—The following Proclamation by the President is published for general information :

PROCLAMATION

In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 356 of the Constitution of India, I, V. V. Giri, President of India, hereby revoke the Proclamation made by me, under the said article on the 13th May, 1971, in relation to the State of Gujarat.

New Delhi,
The 17th March, 1972.

V. V. GIRI,
President.

[No. F. 41/11, GUJ 71-Poll (K)]

New Delhi,
The 17th March, 1972.

GOVIND NARAIN,
Secy.

नं० सः० नि० १०३ (५०).--राष्ट्रपति की निम्नलिखित उद्घोषणा साधारण जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है .

उद्घोषणा

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, व० वे० गिरि, भारत का राष्ट्रपति गुजरात राज्य के सम्बन्ध में 13 मई, 1971 की उक्त अनुच्छेद के अधीन अपने द्वारा की गई उद्घोषणा को एतद्द्वारा प्रतिसंहत करता हूँ ।

नई दिल्ली ;
17 मार्च, 1972

व० वे० गिरि,
राष्ट्रपति ।

[(सं० 41/11/गुजरात/71-पोल (के)]

नई दिल्ली ;
17 मार्च, 1972

गोबिन्द नारायण,
सचिव ।

